न्यायालय :– सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी : अयूब खान(RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 96/2014

प्रार्थीगण :–

1– श्रीमती सुनिता पत्नी श्री घनश्याम भाटी जाति घॉची निवासी मकान नम्बर 407 सी रोड सरदारपुरा जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।

2– श्रीमती सोनीदेवी पत्नी छॅवरलाल बोराणा जाति घॉची निवासी खारी ढाणी मधुवन हाउसिंग बोर्ड बासनी जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।

3– श्रीमती मंजू धाणदिया पत्नी श्री परसराम जाति घॉची निवासी 21/493 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।

4– परसराम पुत्र मूल जी धाणदिया जाति घॉची निवासी 21/493 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।

5– प्रवीण भाटी पुत्र श्री रामचन्द्र भाटी जाति घॉची निवासी मकान नम्बर 407 सी रोड सरदारपुरा जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।

6– श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री प्रवीण भाटी जाति घॉची निवासी मकान नम्बर 407 सी रोड सरदारपुरा जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।

//बनाम//

अप्रार्थीगण :–

1– श्रीमती सुखी उर्फ सुकुडी पत्नी स्व. मानाराम

2– सागरराम पुत्र स्व. श्री मानाराम

3– भागूराम उर्फ भाकरराम पुत्र स्व. श्री मानाराम

4– सुगना पुत्री स्व. श्री मानाराम

5– भॅवरी पुत्री स्व. श्री मानाराम

6– चिडी पुत्री स्व. श्री मानाराम

06/3/2018
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

जातियान भील निवासीगण लाईन्स नगर ग्राम खेजडली कलां तहसील लूणी जिला जोधपुर।

7– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील लूणी। पता तहसील कार्यालय तहसील लूणी जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत अभिलेख में हुई गलती के शुद्धि करण करने

उपस्थित :

1– श्री नथाराम चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।

2– श्री गोपाल मेघवाल ,अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी सं. 1 से 6 की ओर से।

3– राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 7 की ओर से।

दिनांक 06.02.2017

:– निर्णय –:

1– संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा यह एक प्रार्थना पत्र वाद के रूप में अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम राजस्व अभिलेख में हुई गलती के शुद्धिकरण हेतु मुख्य रूप से इस आशय का पेश किया गया है कि मौजा ग्राम खेजडली कलां पटवार हल्का खेजडली कलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुडा विश्नोईयान तहसील लूणी जिला जोधपुर में श्याम पुत्र नारायण जी जाति भील के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 472/3 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा स्थित थी जो भूमि मानाराम पुत्र मिसाराम प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती सुखी उर्फ सुकुडी, प्रतिवादी संख्या 2 सागरराम द्वारा दिनांक 17.8.2007 को खरीद की गई है, जिस बेचाननामें के आधार पर मानाराम, सुकुडी व सागरराम के हक में नामान्तरकरण भरा गया है व जिसे दिनांक 7.10.2007 को सरपंच ग्राम पंचायत खेजडली कलां द्वारा स्वीकृत किया गया है व मौजा खेजडली कलां में मांगीया, ढलिया पिसरान केसाराम जाति भील के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर

06/2/2017
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

472 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा स्थित थी, जिसमें से 1 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 3 भागूराम उर्फ भाकरराम द्वारा दिनांक 20.10.2007 को खरीद की गई है, जिस बेचाननामें के आधार पर नामान्तरकरण भरा गया है व जिसे ग्राम पंचायत खेजडली कलां द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसके आधार पर खसरा नम्बर 472/2 की भूमि 1 बीघा 7 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 3 के खातेदारी की भूमि थी, आगे प्रार्थीगण द्वारा यह अभिकथन किये गये है कि मानाराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 जो एक ही परिवार के सदस्य है के द्वारा अपनी खातेदारी की भूमियॉ खसरा नम्बर 472/3 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नम्बर 472/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमियों को सम्मिलित करते हुए सम्पूर्ण भूमि को कुल 27 कृषि भूखण्डों में विभाजित करते हुए एक नक्शा तैयार किया गया है और जो नक्शा प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में पेश भी पेश किया गया है वे सभी 27 भूखण्ड मानाराम व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा अलग अलग व्यक्तियों को पंजीवद्ध बैचाननामों से बेचान करते हुए कब्जा सुपुर्द किया गया है और जिन भूखण्डों के खरीददारों के हक में नामान्तरकरण भी स्वीकृत हो चुके है, जो सभी भूखण्डों का बेचान करने के बाद खसरा नम्बर 472/3 व 472/2 में कोई भूमि मानाराम जिसका अब देहान्त हो चुका है व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 जो स्व. मानाराम की पुत्रियॉ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पास शेष नहीं रही है।

प्रार्थीगण द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में यह भी अभिवचन किये गये है कि उसके पश्चात जो 27 भूखण्ड अलग अलग व्यक्तियों को बेचान किये गये थे और सभी भूखण्ड खरीददारों के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो जाने के पश्चात सभी खरीरदारों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कार्यालय तहसीलदार लूणी जोधपुर में आवेदन कर कृषि भूखण्डों के बाबत संपरिवर्तन आदेश प्राप्त करते हुए आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्डों में रूपान्तरित करवाये गये है तब से खसरा नम्बर 472/3 व 472/2 पर स्थित भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ के भूखण्ड है और वह सभी 27 भूखण्ड अलग अलग व्यक्तियों से प्रार्थीगण द्वारा जरिये पंजीबद्ध बैचाननामें खरीद किये गये है एवं वे सभी भूखण्ड आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण जो सभी एक ही परिवार के सदस्य

06/7/2018

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

है, के नाम से दर्ज चले आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि त्रुटिवश सहवन से खसरा नम्बर 472 में 472/1 दो बार खाता संख्या 181 में खसरा नम्बर 472/1 रकबा 10 बीघा तथा खाता संख्या 250 में रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा दर्ज हो जाने से खाता संख्या 250 में खसरा नम्बर 472/1 के स्थान पर शुद्धि करते हुए खसरा नम्बर 472/3 नम्बर दर्ज कर इस खसरें में से बेचान किये गये भूखण्डों के नये खसरा नम्बर अंकित किये है जिसका इन्द्राज दिनांक 5.1.2008 को राजस्व रेकर्ड में किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि मानाराम पुत्र गिसाराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 472/3 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 472/2 की भूमि 1 बीघा 7 बिस्वा को सम्मिलित करते हुए मानाराम व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा सम्पूर्ण भूमि को कुल 27 भूखण्डों में विभाजित करते हुए अलग अलग व्यक्तियों को बेचान की जा चुकी है और जिन भूखण्डों को बेचान करने के बाद इन खसरों की भूमियों में से कोई भूमि मानाराम व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पास शेष नहीं रही थी परन्तु मानाराम पुत्र गिसाराम के देहान्त के पश्चात हल्का पटवार क्षेत्र खेजडली कलां तहसील लूणी जिला जोधपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1007 स्व. मानाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पक्ष में गलत रूप से स्वीकृत करते हुए राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 472/3 की भूमि 3 बीघा 3 बिस्वा दर्ज की गई है, जबकि खसरा नम्बर 472/3 की भूमि 9 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 472/2 की भूमि 1 बीघा 7 बिस्वा स्व. मानाराम द्वारा अपने जीवनकाल में व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा कुल 27 भूखण्डों में विभाजित करते हुए अलग अलग व्यक्तियों को बेचान की जा चुकी है और भूखण्डों को बेचान करने के बाद में इन खसरों की जो भूमि भूखण्डों की भूमि के अलावा शेष है, वह भूमि इन भूखण्डों में आने जाने हेतु सार्वजनिक रास्तों की भूमि है और जिस भूमि को सार्वजनिक रास्तों की भूमि के रूप में नक्शे में दर्शाया भी गया है, उन रास्तों की भूमि को हल्का पटवारी पटवार हल्का खेजडली कलां द्वारा खसरा नम्बर 472/3 की भूमि रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा के बाबत नामान्तरकरण संख्या 1007 प्रतिवादी संख्या 1

06/4/2018

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

से 6 के पक्ष में भरते हुए स्वीकृत करवाकर अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज करने में त्रुटि की है जिस त्रुटि का शुद्धिकरण धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों अनुसार किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है, जो करने का निवेदन किया गया है।

2– प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 36 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा जबाब मय काउन्टर क्लेम मुख्य रूप से इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र यानि प्रार्थना पत्र में वर्णित 27 कृषि भूखण्ड अप्रार्थीगण द्वारा अलग अलग व्यक्तियों को बेचान करते हुए बेचाननामें रजिस्टर्ड करवाये गये है। भूखण्डों में आने जाने हेतु रास्ते कायम किये जाने का तथ्य भी सही है, लेकिन प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि 27 भूखण्ड बेचान करने के बाद अप्रार्थीगण के हिस्से में कोई भूमि नहीं रही हो। 27 भूखण्डों में किसी भी भूखण्ड का नाप कम नहीं है, रास्ते की जमीन अपनी जगह पर कायम है। प्रार्थीगण ने दावे की आडे में मौके से मुटाग हटा दिये है, उसके पश्चात अप्रार्थीगण के खिलाफ उठाये गये एतराज कानूनी रूप से मेलाफाईड इन्टेंशन की परिधि में आते है। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने मौका मुआयना कर जॉच इत्यादि करते हुए अप्रार्थीगण को रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि का खातेदार माना है जिसमें उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार की दुरूस्ती किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद यानि प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की उक्त भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है, जिनके विरूद्ध प्रार्थीगण को वाद लाने का अधिकार नहीं है। ग्राम खेजडली कलां खसरा नम्बर 472/3 की भूमि रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा पर अप्रार्थीगण वर्षो से काबिज है, जिस भूमि से वादीगण अप्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है जिस कारण अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी की जावे कि उनके उपयोग व उपभोग में दखलंदाजी नहीं करे और जिस भूमि से उन्हें बेदखल नहीं करे।

06/9/2018

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

3— अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर वाद व काउन्टर क्लेम का जवाब वादीगण द्वारा जरिये जबाबुल–जवाब व जवाब प्रतिदावा पेश करते हुए अप्रार्थीगण द्वारा अभिलिखित किये गये कथनों को अस्वीकार करते हुए कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 472/3 व 472/2 की कुल भूमि 27 भूखण्डों में विभाजित करने व उन भूखण्डों का बेचान करने के बाद उक्त खसरों की भूमि में से कोई भूमि अप्रार्थीगण के पास शेष नहीं रही थी और न ऐसी भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। हल्का पटवारी द्वारा 27 भूखण्डों की भूमि को कुल रकबे में से कम करते हुए शेष भूमि जो उन भूखण्डों में आने जाने के रास्ते की भूमि है, को गलत रूप से राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 1007 स्वीकृत करते हुए बतौर खातेदार अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की गई है। जिसका शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा खारिज करने का निवेदन किया गया है।

4— प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा की गई बहस एवं दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिवचनों यानि वाद एवं जबाब दावे तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर न्यायालय के समक्ष यह स्थिति पूर्णतया स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 472/3 की भूमि रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा मानाराम पुत्र मिसाराम व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खातेदारी की भूमि थी व खसरा नम्बर 472/2 की भूमि रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 3 के खातेदारी की भूमि थी। जिन दोनों खसरों की कुल भूमि को सम्मिलित करते हुए मानाराम व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 जो एक ही परिवार के सदस्य है, प्रतिवादीनी संख्या 1 मानाराम की पत्नी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 मानाराम के पुत्र है, के द्वारा एक नक्शा तैयार करते हुए सम्पूर्ण भूमि को कुल 27 भूखण्डों में विभाजित किया गया है और जिस नक्शे की नकल प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में पेश भी की गई है, जिस नक्शे में इन खसरों की कुल भूमि का नाप 20185.66 वर्गगज यानि 16886.30 वर्गमीटर होना स्पष्ट रूप से अंकित है, जिस भूमि में से जो 27 भूखण्ड बनाये गये थे, जिन भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल 14339.78 वर्गगज यानि 11[illegible]77 वर्गमीटर होना स्पष्ट है एवं शेष भूमि 5845.22

वर्गगज यानि 4889.53 वर्गमीटर भूमि रोड भूमि यानि सार्वजनिक रास्तों की भूमि होना स्पष्ट रूप से अंकित है। इस प्रकार खसरा नम्बर 472/3 व 472/2 की कुल भूमि को 27 भूखण्डों में विभाजित करने के पश्चात कोई भूमि इन खसरों की भूमि शेष नहीं रही थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा जो जबाब पेश किया गया है, उसमें प्रतिवादीगण द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि इन खसरों की भूमि को 27 भूखण्डों में विभाजित किया गया है और उन भूखण्डों में जाने हेतु रोडे भी कायम की गई है, इससे भी यह पूर्णतया स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 472/3 व 472/2 की कुल भूमि को कुल 27 भूखण्डों में विभाजित करने एवं रोडे हेतु भूमि छोडे जाने के बाद कोई भूमि कृषि भूमि के रूप में शेष नहीं रही थी और यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि उक्त सभी 27 भूखण्ड मानाराम के जीवनकाल में मानाराम व मानाराम की पत्नी व पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा अलग अलग व्यक्तियों को जरिये बेचाननामें बेचान की जा चुकी है और जिन बेचाननामों के आधार पर राजस्व रेकर्ड में खरीददारों के पक्ष में नामान्तरकरण भी स्वीकृत हो चुके है और जो नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने के पश्चात सभी खरीददारों द्वारा अपने अपने भूखण्डों की भूमि को कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ में नियमानुसार रूपान्तरित करवाये गये है और जो सभी आवासीय प्रयोजनार्थ के भूखण्ड प्रार्थीगण द्वारा अलग अलग व्यक्तियों से जरिये पंजीबद्ध बेचाननामें खरीद किये गये है और जिन पंजीबद्ध बेचाननामों के आधार पर उक्त 27 भूखण्ड राजस्व रेकर्ड में भी प्रार्थीगण के नाम से दर्ज चले आ रहे है, जिनके दस्तोवज मय राजस्व रेकर्ड की नकलों सहित प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में पेश किये गये है। जिनका अवलोकन करने से न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 472/3 व 472/2 की कुल भूमि को मानाराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा मानाराम के जीवनकाल में कुल 27 भूखण्डों में विभाजित करते हुए सभी भूखण्ड अलग अलग व्यक्तियों को बेचान करने के पश्चात मानाराम व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पास खसरा नम्बर 472/3 व 472/2 की कोई भूमि शेष नहीं रही थी एवं हल्का पटवारी पटवार हल्का खेजडली कलां द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी से आदेश प्राप्त किये अपने मनमानें ढंग से खसरा नम्बर

06/3/19
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

472/3 व 472/2 पर स्थित भूखण्डों में आने जाने हेतु जो भूमि रोड के रूप में कायम की गई थी, जो सार्वजनिक रास्ते की भूमि है, की भूमि 3 बीघा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 472/3 मानाराम के देहान्त के पश्चात मानाराम के विधिक प्रतिनिधियों प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पक्ष में त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड में अंकित की गई है। जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए जिस त्रुटि का अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संशोधन किया जाना यह न्यायालय उचित समझता है।

5– अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार करते हुए आदेश दिया जाता है कि ग्राम खेजडली कलां के खसरा नम्बर 472/3 के नामान्तरकरण संख्या 1007 स्वीकृत करते समय 3 बीघा 3 बिसवा भूमि अप्रार्थी 1 से 3 के नाम दर्ज की गई थी इस पृविष्टि को हटाये जाने के आदेश तहसीलदार लूणी को दिये जाते है तथा खसरा नम्बर 472/3 रकबा 9 बीघा 10 बिसवा व 472/02 रकबा 1 बीघा 7 बिसवा जो आवास्य प्रयोजनार्थ है को प्रार्थीगण के नाम अंकित कर राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त करे।

06/2/2018

उपखण्ड अधिकारी
लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

6– आदेश आज दिनांक 06.02.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

06/2/2018

उपखण्ड अधिकारी
लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner